

प्रेषक,

आयुक्त / अध्यक्ष,
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक: एस०टी०/एन०ओ०सी०/३२-३९ /2009-10 दिनांक: ०५/०४/२०१०

विषय:- अवागढ़ पब्लिक स्कूल, अवागढ़-एटा को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजाज्ञा संख्या: 1916 (1) / 15-7-09-1 / (299) / 2007 दिनांक 14-07-09 के अनुपालन में मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 31.03.2010 में लिये गये निर्णयानुसार उक्त सन्दर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में सम्बन्धित जिले का जिला विद्यालय निरीक्षक, सदस्य होगा।

3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजूकेशन नई दिल्ली/कॉसिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इकामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें।

5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम न्यूनमान तथा अन्य भत्तें नहीं दिये जायेंगे।

6. कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की भाँति अनुमन्य सेवानिवृत्त का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

7. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालयका रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
9. विद्यालय में अग्नि शमन यंत्र स्थापित कर अग्नि शमन अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
10. नेशनल बिल्डिंग कोड में प्रावधानित सुरक्षा मानकों का प्रमाण पत्र सम्बन्धित अभियन्ता से प्राप्त कर लिया जाये।
11. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस ले लिया जायेगा।

भवदीय

डॉ(पी०वी०जगन मोहन)

आयुक्त/अध्यक्ष
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।

कार्यालय मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़।

पृष्ठांकन संख्या:एस०टी०/एन०ओसी० / ३२-३९ / 2009-10 दिनांक: वही।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1.सचिव, (माध्यमिक शिक्षा), उ०प्र० शासन, शिक्षा 7 अनुभाग, लखनऊ।
- 2.शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उ०प्र०, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 3.जिलाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 4.मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़।
- 5.जिला विद्यालय निरीक्षक, सम्बन्धित जनपद।
- 6.प्रबन्धक, सम्बन्धित विद्यालय।
- 7.गार्ड पत्रावली।

३/३/१०

(अहिबरन सिंह)

सचिव/सदसय

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक
अलीगढ़